समाहरणालय,मधुबनी

(जिला पंचायत शाखा)

:–आदेश–:

पंचायती राज विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या:–4046/पं०रा० दिनांक:–25.07.2018 से प्राप्त निदेश के आलोक में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु संविदा के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थी को अस्थायी तौर पर लेखापाल–सह–आई.टी. सहायक के पद पर कुल:–20000/–(बीस हजार रूपये) मानदेय के आधार पर नियुक्ति की जाती है।

क्र०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	अभ्यर्थी का चयनित कोटि	आवासीय पता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	PRAVIND KUMAR SINGH	RAM NARAYAN SINGH	20-Feb-92	GEN	AT+PO-RAMPUR KHORAM PS-MARAHURAH DIST-SARAN STATE-BIHAR PIN- 841442	
2	DAYARAM CHAURASIYA	UDHO RAUT	17-Oct-95	GEN (EBC)	AT+PO+PS-LAUKAHA, BLOCK-KHAUTAUNA,DIST-MADHUBANI BIHAR PIN -847421	
3	SUBHASH KUMAR	RAJ KUMAR	24-Jan-96	GEN	16/866, H-BLOCK,BAPA NAGAR, PYARE LAL ROAD,KAROL BAGH, NEW DELHI PIN- 110005	
4	ARUNA SHUKLA	ANANTA SHUKLA	25-Jan-89	GEN	SARASWATI VIHAR COLONY MAHESHPUR ,ALIGANJ PO-MIRJANHATT PS-MUZAHIDPUR DIST.- BHAGALPUR BIHAR PIN-812005	
5	SONU KUMAR SINGH	SUNIL SINGH	21-Aug-88	GEN	VILL-MADHPUR,P.O-BARDAHA, P.S-PATAUNA(BISFI),DISTT-MADHUBANI BIHAR PIN-847304	
6	AJAY KUMAR	SACHCHIDANAND SHASHI	15-Feb-94	GEN (BC)	VILL-AUNKUSHI, PO+PS-LAKHNOUR, DIST.-MADHUBANI BIHAR PIN-847403	
7	SUSHMA BHARTI	MAHABIR MAHTO	08-Mar-92	WBC (BC)	VILL-BASOPATTI,PO-BASOPATTI,PS-BASOPATTI,DIST-MADHUBANI STATE-BIHAR PIN-847225	
8	RAKESH THAKUR	RAMASHISH THAKUR	12-Apr-90	ST	VILL+POST-BARIYARPUR P.S+DIST-SITAMARHI STATE- BIHAR PIN-843302	

नियुक्ति की शर्ते

1 यह चयन दिनांक:–31 मार्च, 2021 तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर अवधि विस्तार किया जायेगा।

2 संविदा शर्तो के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी के साथ एकरारनामा किया जायेगा।

3 प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर चयनित कर्मी को हटाने का अधिकार जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी को होगा। वे किसी कर्मी को हटाने से पहले नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन करते हुए सुनने का अवसर प्रदान करेंगे।

4 जिला पंचायत राज पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, मधुबनी के स्तर पर अपील की जा सकेगी।

5 नियोजित कर्मी को योगदान के समय अपना शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति एवं मूल प्रति/दो फोटो समर्पित करना होगा।

6 असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र योगदान के समय देना होगा।

7 उपरोक्त अभ्यर्थी को योगदान के समय शपथ पत्र देना होगा, जिसमें उनके विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज नही हो एवं दहेज नही लेन–देने संबंधी तथ्य का उल्लेख हो।

8 नियोजित लेखापाल–सह–आई.टी. सहायक द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर इन्हे कभी भी बिना सूचना के कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।

9 नियोजित लेखापाल–सह–आई.टी. सहायक द्वारा आवेदन में दिये गये तथ्य में सूचना गलत पाये जाने पर नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।

10 नियोजित कर्मी द्वारा उपलब्ध कराये गये शैक्षणिक प्रमाण पत्र की जाचं कराई जायेगी, जांचोपरांत यदि प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो नियोजन रद्द कर दिया जायेगा एवं कर्मी के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

11 नियोजित कर्मी को पंचायती राज विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय प्रतिमाह 20000/–(बीस हजार रूपया) अनूमान्य होगा।

12 इन कर्मियों को वर्ष में 16 दिनों की आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगी।

13 संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी सरकारी सेवक नही माने जायेंगे और अनुमान्य किसी भी सरकारी सुविधा के हकदार नही होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा मान्य नही होगा।

14 मानदेय आधारित कर्मी के चयन अवधि समाप्ति के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नही होगा।

15 नियोजित लेखापाल–सह–आई.टी. सहायक को विहित प्रपत्र में 100/–रू0 का नन–जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा समर्पित करना होगा।

16 उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी को निदेश दिया जाता है कि वे दिनांकः–03.03.2021 तक जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी/उप विकास आयुक्त, मधुबनी के समक्ष योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

17 लेखापाल–सह–आई.टी. सहायकों के मानदेय का भुगतान उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैद्यता की जांच के बाद ही किया जायेगा।

दायित्व एवं कार्य

1 संबद्ध ग्राम पंचायतों के अंतर्गत वार्ड प्रबंधन एवं कार्यान्वयन समिति के लेखों का संधारण सुनिश्चित कराना।
2 अभिलेखों का विधिसम्मत संधारण सुनिश्चित कराना।
3 ग्राम पंचायत तथा वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति के स्तर पर रोकड़ बही का संधारण कराना।
4 ग्राम पंचायत तथा वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति के बैंक खातों का बैंक समाधान विवरणी तैयार कराना।
5 अंकेक्षण सम्पन्न कराना।
6 सभी पंचायतों का लेखा प्रबंधन सुनिश्चित कराना।
7 e-Panchayat का प्रबंधन एवं लेखों का संधारण सुनिश्चित कराना।
8 जिला पंचायत राज पदाधिकारी/संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले अन्य आवंटित कार्यों को सम्पन्न कराना।

ह0/–

जिला पदाधिकारी
मधुबनी।

ज्ञापांकः–510/जि0पं0 दिनांकः–25-2-2021

प्रतिलिपिः– संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– वरीय कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपिः– असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

25/2/21

जिला पदाधिकारी
मधुबनी।